

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 824/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
एक्सिस बैंक लिमिटेड, शांति टॉवर, बी-115, हवा सड़क, सिविल लाईन, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती निशा देवी पत्नी स्व. श्री रघुवर उर्फ श्री रघुवीर सिंह जादौन विधिक वारिस स्व. श्री रघुवर उर्फ श्री रघुवीर सिंह जादौन, प्रोपराईटर मैसर्स रघुवर सिंह कान्द्रेक्टर,
 2. सुश्री शिवानी जादौन पुत्री स्व. श्री रघुवर उर्फ श्री रघुवीर सिंह जादौन विधिक वारिस स्व. श्री रघुवर उर्फ श्री रघुवीर सिंह जादौन, प्रोपराईटर मैसर्स रघुवर सिंह कान्द्रेक्टर,
 3. श्री अभिषेक जादौन पुत्र स्व. श्री रघुवर उर्फ श्री रघुवीर सिंह जादौन विधिक वारिस स्व. श्री रघुवर उर्फ श्री रघुवीर सिंह जादौन, प्रोपराईटर मैसर्स रघुवर सिंह कान्द्रेक्टर,
 4. श्री रंजीत जादौन स्व. श्री रघुवर उर्फ श्री रघुवीर सिंह जादौन विधिक वारिस स्व. श्री रघुवर उर्फ श्री रघुवीर सिंह जादौन, प्रोपराईटर मैसर्स रघुवर सिंह कान्द्रेक्टर,
- पता :- 69/44, वीटी रोड़, मानसरोवर के पास, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 317-318, कस्टम कॉलोनी, ग्राम चंदलाई, तहसील चाकसू, जयपुर।
एवं 34, ठाकुर मोहल्ला, रेवल रेवाई, धौलपुर, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



उपस्थित

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

1. श्री विष्णु कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।


आदेश

दिनांक 24.01.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 29.10.2015 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी स्व. श्री रघुवर सिंह जादौन जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्व की आवासीय संपत्ति 1. प्लॉट नं. 69/44, वी.टी. रोड़ के पास, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल राशि 01,10,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.07.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 01,10,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 01,47,24,710/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.07.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी स्व. श्री रघुवर सिंह जादौन जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्व की बंधक आवासीय संपत्ति 1. प्लॉट नं. 69/44, वी.टी. रोड़ के पास, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 24.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



७०
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर